

पत्रांक / Letter no. 3448

सेवा में,

Smt. Reehmi Sinha,
W/o Sri Vikas Kumar,
Inderpuri Rd. No.1, Ratu Road, Ranchi.

विषय - भवन प्लान सं०-16/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाराज, उपरोक्त भवन प्लान वाद संख्या के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा आवेदित भवन प्लान की स्वीकृति नगर निवेशक के द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन उपविधि 2016(संशोधित 2017) के तहत दी गई है:-

- 1) भवन की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भू-स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।
- 2) संशोधित नक्शे के अनुरूप नया नक्शा Location Map एवं Key map के साथ चार प्रतियों में जमा करना है।
- 3) अवशेष राशि (Fee) ₹ 16,812/- जमा करना है।
- 4) 1% सेबर सेस राशि (Fee) ₹ 1,13,920/- जमा करना है।
- 5) नाली निर्माण हेतु 1,60,075/- जमा करना है।
- 6) आवेदक को निम्न शर्तों के अनुपालन का शपथ पत्र देना है:-

वृक्षारोपण, तड़ित चालक एवं Rain water Harvesting का अधिष्ठापन, निबंधित डेवलपमेंट एग्रीमेंट/स्वयं निर्माण कराना, अग्निशमन पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य/सुझाव का अनुपालन करना, प्रभावी उपविधि 2016(संशोधित 2017) एवं झारखंड अपार्टमेंट एक्ट 2011, RERA का अनुपालन स्वीकृत नक्शे के अनुसार-Plinth Level तक निर्माण कर नक्शे की छायाप्रति के साथ प्राधिकार को जांच के लिए सूचित करना क्षेत्र के प्राकृतिक ढलान के कारण प्राधिकार आवश्यकता के अनुसार आवेदित भूखंड पर नाली का निर्माण करवा सकता है।

- 6) पथ चौड़ीकरण हेतु 13.67 वर्गमीटर भूमि का निबंधित गिफ्ट डीड जमा करना है। आवेदक उक्त भूमि को छोड़कर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेंगे एवं उप पर भूमि की विवरणी एवं क्षेत्रफल देते हुए एक बोर्ड लगाया जायेगा जिसमें "यह भूमि रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की परिसम्पति है" अंकित रहेगा। उक्त भूमि का दखल-दिहानी प्राधिकार के कनीय अभियंता को करना होगा। दखलकब्जा संबंधी कागजात पर तीन व्यक्तियों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।
- 7) Builder Registration, Registered Development Agreement, Structural Stability Certificate, Schedule of Doors & Windows, भू-गर्भ जल का Hydrogeologist Report. तथा स्वच्छ प्रति नक्शा जमा करना है, अतिरिक्त भूमि (14.88m²)से संबंधित शपथ पत्र,
- 8) कंडिका 1 से 7 तक सभी शर्तों का अनुपालन तीन महीने के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा बिना किसी सूचना के स्वीकृत भवन प्लान रद्द कर दिया जायेगा।
- 9) भवन प्लान की स्वीकृति का तात्पर्य सिर्फ झारखण्ड भवन उपविधि 2016(संशोधित 2017) कंडिका 2.7.1 एवं 27.2 के आलोक में भवन निर्माण की अनुमति है, इनमें निम्न का समावेश नहीं है:-

- भवन एवं जमीन पर मालिकाना हक।
- सुखभोग अधिकार।
- किसी भी भूखंड के क्षेत्रफल का अभिलेखित क्षेत्रफल से परिवर्तन।
- भवन निर्माण में सेवा सुविधा की गुणवत्ता।
- किसी भूखंड/स्थल के प्राकृतिक ढलान का ध्यान न रखने के कारण जल जमाव की स्थिति।
- अन्य नियम एवं कानून के अन्तर्गत भूखंड/घर के लिए वांछित अन्य आवश्यकताएं/अनुज्ञप्ति।

- 10) भवन प्लान की स्वीकृति के बाद यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने धोखाघड़ी या गलतबयानी (Misrepresentation of facts or fraudulent statement) से इसकी स्वीकृति प्राप्त की है अथवा भविष्य में भूमि संबंधी प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त है तो भवन उपविधि की कंडिका 17.1 के अन्तर्गत इस भवन की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन
28/10/17
नगर निवेशक,
राँ०क्षे०वि०प्रा०, राँची।